Form-III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू

हनुमानमल बनाम मामराज

किस्म मकदमा नंबरी फौजदारी प्रकरण सं. 49/2019 (सी.आई.एस. नं. 87/2019)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.05.2022	परिवादी हनुमानमल अनुपस्थित। अधिवक्ता परिवादी श्री जसवंत स्वामी उपस्थित। अभियुक्त मामराज अनुपस्थित। अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट इस रिपोर्ट के साथ लौटा है कि अभियुक्त घर पर नहीं मिला, घर वालों से पूछने पर स्थायी पते के बारे में पता नहीं होने तथा कभी -कभी घर आने का बताया तथा कोर्ट के चक्कर ना काटने की बात कहकर तस्दीक बाबत हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त के घर पर मौजूद नहीं मिलने की रिपोर्ट के साथ पत्रावली पर है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त को पूर्व में जारी समन मोबाईल पर सूचित करने की रिपोर्ट के साथ व जारी जमानती वारंट अभियुक्त पर बाद तामील पत्रावली पर है। इससे यह दर्शित है कि प्रकरण की अभियुक्त को जानकारी है, लेकिन अभियुक्त जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है। अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से रूहपोश हो चुका है। निकट भविष्य में अभियुक्त के मिलने की संभावना नहीं है , इसलिए अभियुक्त मामराज पुत्र किशनराम, निवासी गांव कीकासर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू को प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो। धारा 82, 83 सीआरपीसी की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध पृथक से खोली जावे। परिवादी का साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिवक्ता परिवादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया । अतः साक्ष्य परिवादी बंद की जाती है। प्रकरण मफरूरी में फैसल शुमार किया जा रहा है, इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे, इस आशय का नोट पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफतर हो। (विजय प्रताप गोस्वामी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए